

पृष्ठ सं.

एमपीओ सिंह
विशेष संचालक
आसरा शाखा

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
3040, लखनऊ

नगरीय योजनाएं एवं गरीबी
अन्वेषण कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 20 अगस्त, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजनान्तर्गत रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1303/77/10/उः/विधि/आसरा/तकनीकी (जौनपुर-मडियाहू-144) दिनांक 30 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से जनापद-जौनपुर की निकाय-मडियाहू की 41 रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना हेतु रु 196.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि 98.485 लाख (एक अठ्ठानवें लाख अठ्ठासहस्र हजार पांच सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


क्र/सं०	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल अवस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों परियोजना अवस्थापना सहित कुल लागत।	धनराशि हेतु की सुविधाओं कुल आवासीय	प्रथम किशत (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सन्देह याज्ञ एवं लेबर संश सहित)।
1	2	3	4	5	6	7	7
1	जौनपुर/मडियाहू	144	691.78	41	196.97		98.485
	योग			41	196.97		98.485

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णश्रेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रथमतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अदरथ प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

एमपीओ/आसरा

3. प्रायोजक का निर्माण कार्य एवं कार्य से पूर्व मानचित्रों के माध्यम से स्थानीय विकास प्राधिकरण/सहाय कोषों से स्वीकृत करा जायेगा साथ ही नियमानुसार सम्बन्धित आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजक द्वारा एवं अनिवार्यतः प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन उपर्युक्तानुसार लिखित नद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में बाजकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं माप में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/कार्य में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/कार्य में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय विस्तृत नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजना का गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एल्यूमिनेशन अनुमत्त नहीं होगा।
6. सूझा/डूझा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राजस्व कोषों/आवास किराई अन्य कोष से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परियोजना के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्वाारावृत्ते/पुनरावृत्ति न हो इसे सूझा/डूझा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजकान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बनाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशेषितियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यवाही संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजकता लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजकता प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजकता लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सिटू आवासी के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूझा/डूझा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आवास योजनान्तर्गत आवासी के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूझा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिशर्तों का सख्त स्तरीय निगरान करवाकर गुणवत्ता आदि विद्युत् में स्थित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्रय प्राप्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूझा/उपक के माध्यम से निर्माण डूझाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उपरानुसार सभी पहलुओं पर आश्रयस्त हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहरताकरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाजघर संख्या, तिथि तथा लेख शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी०एन०एन० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रशजगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।


14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यश कलेक्टर अवरण कय विषय उपाय योजनाअन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सप्लेस शॉर्टिकेक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपरोक्त प्रमाण प्रस्तुत कर शसन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तशोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किस्त की धनराशि अनुमुक्त की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शसन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उओएओ, लखनऊ अहरण की वर्षान्त पर अपने शर्तों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अनुमुक्त करने से पूर्व अनुयाय (एमओओयू) निष्पादित किये जाने त्तु सडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निदेशित किया जायेगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा एसओसी/एसओपीओ/टीओएसओपीओ हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसुचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययान्त में अनुरान संख्या 83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-789-अनुसुचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-सुहद निर्माण कार्य।" के तले डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाग संख्या 2/2015/बी-1-925/दत-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व सन्नग-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (एसओपीओ सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-764/2015/1894(1)/69-1-15, तदिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उओएओ, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उओएओ, छठवां तल, संगम प्लेस, तिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उओएओ शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, जौनपुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उओएओ शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, उओएओ शासन।
7. रामाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सनाज कल्याण विभाग, उओएओ, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उओएओ, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराते हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज से,

 (एसओपीओ सिंह)
 विशेष सचिव।

3. प्रायोजना के निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवंटनों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रायोजना के निर्माण के लिए उपयुक्त जमीनी से स्वीकृत किया जायेगा साथ ही नियमानुसार सार्वजनिक आयोजना एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट मद में व्यय की जायेगी। योजनावर्गीय परिवर्तन में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दश में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परिवर्तनार्थ पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एरकेलेशन अनुमत्त नहीं होगा।
6. सूझ/झूझ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्ण में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिवर्तन के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की दिशावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूझ/झूझ द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनावर्गीय कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्य के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाने समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीट्टू आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूझ/झूझ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनावर्गीय आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिसूचित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित झूझ द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित झूझ/मद के माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपॉजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्वीकृति की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

14. राजधानी के विभाग चांदी बिल्डिंग वर्ष 2015-16 में सवा करोड़ अथवा कम लागत का कार्यवाही प्रथम किशत के रूप में स्वीकृत अथवा धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने पर पर्याप्त तथा उसके सापेक्ष शौचक प्रणाली/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण परीक्षा का समय से उपलब्ध कराया जाएगा। तदोपरान्त योजना की अंश/उद्भाग किशत की धनराशि अनुमति की जायेगी। निर्धारित अंश के बाद अनुमति धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करती होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 5050, लखनऊ आहरण की पर्याप्त पर अपने लेखों का मित्रा महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण ड्रॉइंग से यथाव्यवस्था धनराशि अनुमति करने से पूर्व अनुमति (एमओओपी) निष्पादित किये जाने हेतु सूझा द्वारा सम्बन्धित ड्रॉइंग को निर्दिष्ट किया जाएगा।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एनओसी/एलसी/टीओएलसी हेतु निर्धारित व्यवधानुसार केवल अनुमति के लिए ही किया जायेगा।
18. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 83 का अंतर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत 02-शहरी आवास 789-अनुमति जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24 वृद्ध निर्माण कार्य।" के माते डाला जायेगा।
19. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाय संख्या 2/2015/बी-1-925/दस-2015 231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (एमओपी सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-165/2015/1897(1)/69-1-15, तद्विज्ञां।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हस्तारि), प्रधान, 5050, 20 सरोजनी नाथू नगर, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लिपि लेखा परीक्षा विभाग, 5050, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबो उन्नयन कार्यक्रम विभाग, 5050 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सोनभद्र।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3, 5050 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 5050 शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 5050, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जयहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 5050, लखनऊ।
10. सहायक डेब्ट मास्टर, सूझा को विभागीय डेब्ट साइड पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/दस्तावेज सहायक।

आज्ञा से,

 (एमओपी सिंह)
 विशेष सचिव।